Annex-2

कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 69 /2021

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा ई–मेल पत्र सं०– 1941/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad/Dated: 05 April 2021 के माध्यम से COVID–19 महामारी के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 06.04.2021 से अग्रिम आदेश तक जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

1– जजशिप कुशीनगर स्थित समस्त न्यायालय विचारण मामलों में साक्ष्य को छोड़कर समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित करेंगे। जिन मामलों में पीठासीन अधिकारीगण साक्ष्य अभिलिखित किया जाना आवश्यक समझेंगे, उन मामलों में जनपद न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकेंगे।

2– ज्योंहि न्यायिक/प्रशासनिक कार्य समाप्त हो जाय, न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण न्यायालय परिसर छोड़ दें।

3– जजशिप कुशीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर का न्यायालय JITSI Software (LAN Version) के माध्यम से संचालित करने हेतु चिन्हित किया जाता है। संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने लैपटाप के माध्यम से JITSI Software (LAN Version) न्यायालय कार्य सम्पादित करेंगें। जजशिप कुशीनगर के अन्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण JITSI Meet website (https.meet.jit.si/) के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही सम्पादित कर सकते हैं। उक्त लिंक जिला न्यायालय कुशीनगर की वेबसाइट district.ecourts.gov.in/kushinagar पर उपलब्ध है।

4– जेल में निरूद्ध बंदियों के संदर्भ में रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। आवश्यक होने पर JITSI Video Conference Software को भी प्रयोग किया जायेगा।

5– समस्त पीठासीन अधिकारीगण शारीरिक दूरी के दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी सम्भावित उपायों के लिए कदम उठायेंगे, जिससे कि न्यायालय कक्ष में एक वाद की कार्यवाही में न्यूनतम संख्या में अधिवक्ता/पक्षकार उपस्थित हों। पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार को वाद में उपस्थिति के लिये मना नहीं करेंगे, जबतक कि वह किसी बीमारी से ग्रसित न हो, किन्तु पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह न्यायालय कक्ष जहां से अधिवक्तागण द्वारा तर्क/बहस प्रस्तुत किया जाता है, में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिये प्रतिबंधित कर सकते हैं।

6– न्यायालय के संचालन हेतु संबंधित बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण से वार्तालाप किया जायेगा तथा न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण व वादकारियो के प्रवेश के संदर्भ मे

आवश्यक सहयोग लिया जायेगा।

7- न्यायालय संचालन के संबंध में समस्त सूचना जजशिप कुशीनगर की स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय एवं प्रिन्ट मीडिया में भी परिचालित की जाय।

8- यदि संबंधित जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की यह राय हो कि जिला न्यायालय/बाह्य न्यायालय परिसर एक विशेष कालावधि तक बन्द रखें जाए या जनपद न्यायाधीश की राय हो कि जिला न्यायालय एक विशेष कालावधि तक बन्द रखें जाए तब जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय परिसर उस समय तक के लिए बन्द रखे जा सकते हैं और इसकी सूचना विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रेषित की जायेगी।

9- जनपद न्यायालय परिसर खोलने के पूर्व प्रतिदिन जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं सी०एम०ओ०/सी०एम०एस० की सहायता से सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की सफाई व सेनेटाइजेशन (चिकित्सा दिशा निर्देशों के अनुसार कड़ाई से) सुनिश्चित करेंगे। जिला प्राधिकारी प्रतिदिन न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

10- प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, कुशीनगर एवं प्रभारी अधिकारी उपनजारत, कसया, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता कि वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सेनेटाईजेशन एवं साफ सफाई एवं न्यायालय परिसर में प्रवेश करनेवाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण, जिला मजिस्ट्रेट/अन्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के से सहयोग से प्रतिदिन करायेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर की ओर से कोविड-19 की रोकथाम हेतु न्यायालय परिसर में प्रेवश करने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग करने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है -

1. श्री जय कुमार बघेल
2. श्री आनन्द कुमार
3. श्री राजेन्द्र पाण्डेय
4. श्री सुनील कुमार
5. श्री अरमान उल्ला खाँ

मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त कर्मचारीगण थर्मल स्कैनिंग करने में सक्षम है। उक्त प्रत्येक कर्मचारी को थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराये गये है।

सर्वश्री जय कुमार बघेल, श्री राजेन्द्र पाण्डेय व अरमान उल्ला खाँ जनपद न्यायालय कुशीगनर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण करेंगे और स्वस्थ पाये जाने की दशा में ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। कोई परेशानी आने पर इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय कुशीनगर को देंगे।

सर्वश्री आनन्द कुमार एवं सुनील कुमार बाह्मा न्यायालय, कसया, कुशीनगर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग परीक्षण करेंगे और स्वस्थ पाये जाने की दशा में ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। कोई परेशानी आने पर इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी उपनजारत बाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर को देंगे।

11– जजशिप कुशीनगर स्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड–19 के संबंध में समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश एवं सभी दिशा–निर्देशों तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

12–न्यायालयों के कार्य की संचालन प्रणाली (Mechanism)/माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों को स्थानीय स्तर पर मीडिया/अधिकारिक वेबसाइट, बार एसोसिएशन या अन्य किसी माध्यम से जनपद न्यायाधीश द्वारा नियमित रूप से प्रसारित कराया जायेगा।

13– विद्वान अधिवक्तागण/वादीकारीगण को लिस्टिंग आफ केसेज के मेकेनिज्म की जानकारी देने हेतु व स्टैटस/लिस्टिंग आफ केस की जानकारी देने हेतु न्यायालय कुशीनगर हेतु सिस्टम असिस्टेंट श्री धीरज कुमार तिवारी का हेल्प लाइन मोबाइल न०–8009055040 है एवं आऊट लाइन कोर्ट, कसया, कुशीनगर हेतु टेक्नीकल मैन पावर श्री विजय कुमार दूबे का हेल्प लाइन मोबाइल नं० 9264955392 है। इस सुविधा के संचालन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर में नियुक्त पराविधिक स्वंय सेवकों (Para Legal Volunteers) की सहायता ली जायेगी।

14– न्यायालय कार्यवाही के दौरान पुरूष अधिवक्ता सफेद शर्ट व हल्के रंग का ट्राउजर पहनेंगे तथा महिला अधिवक्ता सौम्य पोशाक धारण करेंगी।

15– न्यायिक अधिकारीगण को कोट व गाउन पहनने से छूट रहेगी।

16– प्रतिदिन निर्णीत समस्त मामलों/प्रार्थना पत्रों, फीडबैक आदि की रिपोर्ट जनपद न्यायाधीश द्वारा ई–सर्विस मॉड्यूल पर माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से दिये गये दिशा–निर्देश दिनांक 06.04.2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

जनपद न्यायालय कुशीनगर एवं बाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर के सभी न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण सूचित हो।

सिस्टम आफीसर/कोर्ट मैनेजर इस आदेश को जनपद न्यायालय, कुशीनगर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही

से इस न्यायालय को अवगत कराएँ।

केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कुशीनगर एवं उपनाजिर, बाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक जिलाकारागार देवरिया, अध्यक्ष/सचिव जनपद सिविल कोर्ट, बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान–पडरौना एवं अध्यक्ष/सचिव कुशीनगर सिविल कोर्ट, बार एसोसिएशन, कसया, कुशीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय।

आदेश की प्रतिलिपिक निःशुल्क दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जाय।

आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, कुशीनगर, स्थान–पडरौना एवं बाह्य न्यायालय, कसया, कुशीनगर के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाय।

उपरोक्तानुसार अन्य सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांकः–05.04.2021

(विजेन्द्र सिंह)
(एच.जे.एस.)
जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान–पडरौना।

District Judge
Kushinagar at Padrauna (U.P.)

Annex-2

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या 82 /2021

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1941/ LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 05-04-2021 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र संख्या 1944/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 14-04-2021 के द्वारा नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुपालन में जजशिप कुशीनगर स्थित न्यायालयों के कार्य करने के संबंध में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया जाता है:-

1– निम्नलिखित विशेष क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय तथा पैरेन्ट कोर्ट अग्रिम आदेश तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करेंगें:-

a. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर,

b. विशेष क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय–

c– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम कुशीनगर,

d– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. द्वितीय, कुशीनगर

e– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पाक्सो कोर्ट नंबर 1 कुशीनगर

f. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर,

g. सिविल जज (सी०डि०) कुशीनगर स्थान पडरौना,

h. सिविल जज (जू०डि०) कुशीनगर स्थान पडरौना

i. सिविल जज (जू०डि०) कसया, कुशीनगर।

j. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर।

2– भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कुछ अन्य न्यायालयों को भी कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

3– भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर रोटेशन के आधार पर न्यायिक कार्य वितरित किया जा सकता है।

4– उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण निम्न प्रकार के मामलों की सुनवायी करेंगें:-

a. पुराने व नये जमानत प्रार्थना पत्र

b. नये व पुराने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

c. अर्जेन्ट प्रकीर्ण आपराधिक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

d. अर्जेन्ट निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

e. जेल में निरूद्ध बंदियों का रिमाण्ड

f. वे मामले जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु आदेश पारित किया गया है

5– विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा ई.मेल के माध्यम से प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता/वादकारी का विवरण तथा मोबाइल नंबर व ई.मेल आई.डी. अंकित होना आवश्यक है।

6–जनपद न्यायालय कुशीनगर अधिष्ठान के अधिकृत ईमेल पता-dckus46@gmail.com का प्रयोग जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य अर्जेंट प्रार्थना पत्र मय लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिये किया जाय। इसी प्रकार बाह्य न्यायालय कसया कुशीनगर में अधिकृत ईमेल पता-ockas46@gmail.com का प्रयोग जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य अर्जेंट प्रार्थना पत्र मय लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिये किया जाय। जनपद न्यायालय मुख्यालय कुशीनगर स्थान पडरौना पर नियुक्त श्री धीरज तिवारी, सिस्टम असिस्टेंट एवं बाह्य

2/

न्यायालय कसया पर नियुक्त श्री विजय कुमार दूबे ईमेल से प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करेंगे एवं उसकी आवश्यक सूची तैयार करेंगे।

7– कम्प्यूटर अनुभाग पडरौना व कसया के फाइलिंक काउण्टर को आपराधिक व दीवानी के नये वादों व प्रार्थना पत्रों को अधिवक्तागण/वादकारीगण से प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाय। सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेण्ट/टी.एम.पी. द्वारा प्राप्त वादों/प्रार्थना पत्रों को सी.आई.एस पर दर्ज करेंगे। वादों/प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता/वादकारी का विवरण व मोबाइल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक है। वादों/प्रार्थना पत्रों में कोई कमी होने की दशा में सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेण्ट/टी.एम.पी. द्वारा संबंधित अधिवक्ता को सूचना प्रदान की जायेगी।

8– कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेण्ट/ टी.एम.पी. द्वारा ई–कोर्ट्स ऐप के क्रिया कलाप के बारे में विद्वान अधिवक्तागण को अवगत करायेगें ताकि वे उक्त ऐप के माध्यम से काज लिस्ट को देख सकें।

9– उक्त न्यायालयों में मात्र चार कुर्सियां अधिवक्ताओं के लिये आवश्यक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए रखी जायेगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उक्त न्यायालयों के दरवाजे पर सेनेटाइजर रखा जाय। न्यायालय व कार्यालय के कर्मचारीगण सामाजिक/शारीरिक दूरी के गाइडलाइन का अनुपालन करेंगें। प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत व प्रभारी अधिकारी, उपनजारत कसया को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय कक्षों के सामने सेनेटाइजर रखने हेतु पर्याप्त सेनेटाइजर की व्यवस्था करें।

10– वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही किये जाने हेतु तथा सी.आई.एस पर केस अपडेट करने हेतु सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेण्ट/ डी.एस.ए की सेवाये ली जायेंगी।

11– नियमित व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की प्रतियां अभियोजन/जिला शासकीय अधिवक्ता को प्रदान की जायेगी। अभियोजन के द्वारा निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत जवाब दाखिल किया जायेगा।

12– जनपद न्यायालय मुख्यालय कुशीनगर स्थान पडरौना हेतु श्री धीरज कुमार तिवारी, सिस्टम असिस्टेंट, मोबाइल नम्बर 8009055040 एवं बाह्य न्यायालय कसया–कुशीनगर हेतु श्री विजय कुमार दूबे, टेक्निकल मैनपावर, मोबाइल नम्बर 9264955392 वादकारियों की सहायता करेंगे। सिस्टम असिस्टेण्ट/ टी.एम.पी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के बारे में भी अधिवक्तागण को अवगत कराया जायेगा।

13– बार एसोसिएशन पडरौना व कसया के पदाधिकारियों से कोर्ट के कार्य करने के संबंध में चर्चा की जायेगी।

14– न्यायालय की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु JITSI वीडियो कान्फ्रेन्सिंग साफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा। टाईम स्लाट निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

<u>Time Slot for Video Conferencing to Advocates/Litigants</u>

Sl.	Court Name	Time Slot
AT HEAD QUARTER KUSHINAGAR AT PADRAUNA		
1.	District & Sessions Judge	11:30 AM to 12:00 AM
2.	Spl. Judge SC/ST Act	11:00 AM to 11:30 AM
3.	ADJ/FTC-II	12:00 AM to 12:30 PM
4.	ADJ/FTC-I	03:00 PM to 3:30 PM

5.	ADJ/POCSO Act Court No. 1	10:30 AM to 11:00 AM
6.	Chief Judicial Magistrate	12:30 PM to 01:30 PM
7.	Civil Judge (Sr. Div.)	02:00 PM to 02:30 PM
8.	Civil Judge (Jr. Div.), Kushinagar	02:30 PM to 03:00 PM
AT OUTLYING COURT KASIA		
9.	A.C.J.M., Kasia	12:30 PM to 01:30 PM
10.	Civil Judge (Jr. Div.), Kasia	02:00 PM to 03:00 PM

Note:- Only Advocates are allowed to appear in Virtual Court room of Video Conferencing. The room has been allotted for the said purpose is the Court Room of Civil Judge (Jr. Div.)/F.T.C.-II in the F.T.C. Court Building at head quarter and the Court Room of Additional Chief Judicial Magistrate, Kasia at Outlying Court Kasia-Kushinagar. As per directions of the Hon'ble High Court only Bail Matters/ Anticipatory Bail Matters and other urgent matters will be taken up.

15- वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जा सकता है कि वे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का लिंक विद्वान अधिवक्तागण/अभियोजन से साझा करें। विद्वान अधिवक्तागण/अभियोजन उक्त लिंक के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेंगें। संबंधित अधिकारीगण की अनुपस्थिति की दशा में उनके प्रभारी अधिकारीगण उक्त कार्य सम्पादित करेंगे। कोई भी अधिकारी बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

16- उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जा सकता है कि वे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, आदेश पारित करने/अपलोड करने, जमानत प्रपत्र स्वीकार करने व रिहाई परवाना जारी करने हेतु पूर्व के नियमों का पालन करेंगें।

17- न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु अभियोजन व जेल प्रशासन के मध्य आवश्यक सामन्जस्य स्थापित किया जाय।

18- सत्र न्यायालय से संबंधित अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स के रिमान्ड/न्यायिक कार्य (Judicial Work) वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से श्री मदन मोहन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम कुशीनगर द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

मजिस्ट्रेट न्यायालयों से संबंधित अण्डर ट्रायल प्रिजनर्स के रिमान्ड/न्यायिक कार्य (Judicial Work) वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से कराये जाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

19- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे पम्प्लेट्स व मीडिया कवरेज के माध्यम से न्यायालयों की कार्यवाही इलेक्ट्रानिक मोड से होने के संबंध में प्रचार प्रसार करेंगें। उनके द्वारा उक्त कार्य में पैरा लीगल वालेण्टियर्स की मदद ली जायेगी तथा सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगें।

20- केवल वहीं विद्वान अधिवक्ता/वादकारीगण न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगें, जिनके केस/मामले उस तिथि को न्यायिक कार्यवाही हेतु नियत होंगें। जैसे ही संबंधित अधिवक्तागण के

मामलों की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी वैसे ही विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय परिसर खाली कर देंगें।

21- जजशिप कुशीनगर में कार्यरत पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने न्यायालयों/कार्यालयों/अनुभागों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण में से मात्र पचास प्रतिशत कर्मचारीगण को ही एक कार्य दिवस पर न्यायालय आने हेतु निर्देशित करें तथा शेष पचास प्रतिशत कर्मचारीगण को अगले कार्य दिवस पर आने हेतु निर्देशित करें।

22- नोडल आफीसर, कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय स्थित सी०पी०सी० के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। कसया स्थित कम्प्यूटर अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिन प्रतिदिन की कार्यवाही रिपोर्ट मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर अनुभाग में भेजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय समय से प्रेषित की जा सके।

तदनुसार अनुपालन हेतु सभी संबंधित सूचित हों।

आदेश की एक-एक प्रति अध्यक्ष/मंत्री, जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पडरौना एवं कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कसया, कुशीनगर को प्रेषित की जाय। आदेश की प्रति जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर, कम्पयूटर अनुभाग, जजशिप कुशीनगर एवं जनपद न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना व बाह्य न्यायालय, कसया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु केन्द्रीय नाजिर/उप नाजिर कसया को प्रेषित की जाय।

दिनांक/कुशीनगर
अप्रैल 19 , 2021

(विजेन्द्र सिंह, एच.जे.एस.)
जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।
District Judge
Kushinagar at Padrauna (U.P.)

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2- पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान पडरौना।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, कुशीनगर।
5- जेल अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
6- जिला सूचना अधिकारी, कुशीनगर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
7- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पडरौना-कुशीनगर ।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कुशीनगर।

Copy forwarded to C.J.M. KSN
For Information / necessary action
By order of Court

Sr. Admin. Officer
Judgeship Kushinagar

Scan
Com
19/4/21

Annex-2

HIGH COURT AT ALLAHABAD

From (Through e-mail)

Ashish Garg, H.J.S.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad

To

1. All the District Judges of U.P.
2. Presiding Officers of Commercial Courts
3. Presiding Officers of Land Aqui. Rehab. & Resettlement Auth.
4. Principal Judges of Family Courts
5. Presiding Officers of Motor Accident Claim Tribunal

Subordinate to High Court of Judicature at
Allahabad.

Letter No. 2009 /LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 18 August 2021

Subject: Guidelines for functioning of District Courts/ Tribunals, keeping in view the status of cases of COVID-19 in Districts.

Sir/ Madam,

In partial modification of the earlier guidelines/ directions on the subject noted above, I am directed to communicate the following directions of Hon'ble Court -

1. In the light of the guidelines issued by Additional Chief Secretary, Government of U.P. vide letter No. 1416/2021-CX-3 dated 11.08.2021, the earlier guideline issued at point No. 18 vide letter No. 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 22.04.2021 and at point No. 3 vide letter No. 1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 20.07.2021 stand withdrawn.
2. Remaining part of guidelines for opening the Courts issued vide letter No. 1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabd dated 20.07.2021 in compliance of resolutions of this Committee, shall remain the same.
3. Daily consolidated report of the number of cases/applications decided, feed back etc. be submitted by the District Judges on the e- services module on regular basis.

The concerned Bar Association may be informed, accordingly.

अगस्त , 2021

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Annex-2

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या 166 /2021

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1945/ LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 22-04-2021 तथा पत्र संख्या 1983/ LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 20-07-2021 के माध्यम से जारी दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र संख्या 2009/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 18-08-2021 के द्वारा नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुपालन में जजशिप कुशीनगर स्थित न्यायालयों के कार्य करने के संबंध में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया जाता है:-

1- अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1416/2021-CX-3 दिनांकित 11-08-2021 के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 2009/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 18-08-2021 के द्वारा पत्र संख्या 1945/ LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 22-04-2021 के विन्दु संख्या 18 तथा पत्र संख्या 1983/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 20-07-2021 के विन्दु 3 जो प्रत्येक शनिवार व रविवार को न्यायालय बन्द रहने से संबंधित था, को वापस ले लिया गया है, इस कारण अब नियमानुसार शनिवार को भी न्यायालय कार्य कोरोना काल के पूर्व की भांति सम्पादित होगा।

2- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1983/ LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनांकित 20-07-2021 के प्रकाश में पूर्व में जारी प्रशासनिक आदेश संख्या 142/2021 दिनांकित 22-07-2021 उपरोक्त विन्दु संख्या 1 जो शनिवार को न्यायालय खुलने से संबंधित है, को छोड़कर अन्य समस्त विन्दुओं के संबंध में प्रभावी रहेगा।

3- नोडल आफीसर, कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वे दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय स्थित सी०पी०सी० के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। कसया स्थित कम्प्यूटर अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिन प्रतिदिन की कार्यवाही रिपोर्ट मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर अनुभाग में भेजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय समय से प्रेषित की जा सके।

तदनुसार अनुपालन हेतु सभी संबंधित सूचित हों।

आदेश की एक-एक प्रति अध्यक्ष/मंत्री, जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पडरौना एवं कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कसया, कुशीनगर को प्रेषित की जाय। आदेश की प्रति जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर, कम्पयूटर अनुभाग, जजशिप कुशीनगर एवं जनपद न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना व बाह्य न्यायालय, कसया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु केन्द्रीय नाजिर/उप नाजिर कसया को प्रेषित की जाय।

19/8/2021

दिनांक/कुशीनगर
अगस्त , 2021

(राजेश उपाध्याय)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

District Judge
Kushinagar at Padrauna (U.P.)

कार्यालय-जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या 08 /2022
दिनांक : जनवरी 10, 2022

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-2423/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 09 जनवरी, 2022 द्वारा जनपदों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त निम्न दिशा-निर्देश (Guidlines) जारी किये गये हैं, जिनके अनुपालन में जनपद न्यायालय मुख्यालय कुशीनगर स्थान पडरौना एवं बाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर के संचालन के संबंध में निम्न व्यवस्था की जाती है, जो दिनांक 10.01.2022 से माननीय उच्च न्यायालय से तत्संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगी :-

1- प्रभारी अधिकारी नजारत, जजशिप कुशीनगर व बाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि परिसर खुलने से पूर्व पूर्ण सेनेटाइजेशन (मेडिकल गाइडलाईन के अनुसार कड़ाई से), सम्पूर्ण न्यायालय परिसर की सफाई जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कुशीनगर की सहायता से कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला प्राधिकरण न्यायालय परिसर की प्रतिदिन सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

2- जनपद न्यायालय मुख्यालय कुशीनगर स्थान पडरौना व बाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर में निम्न प्रकार के वादों की सुनवायी की जायेगी:-

a) नया दाखिला व लम्बित मामलों का दाखिला (यदि कोई हो)।

b) जमानत प्रार्थना पंत्र (लम्बित व नवीन)।

c) अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र (लम्बित व नवीन)।

d) वाहन अवमुक्ति से सम्बन्धित मामलें व लघु अपराध से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण।

e) आवश्यक व्यादेश से सम्बन्धित मामलें (लम्बित व नवीन)।

f) धारा 173 Cr.P.C. के अन्तर्गत प्राप्त पुलिस आख्या की प्राप्ति व निस्तारण से सम्बन्धित मामलें।

g) विवेचक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों का निस्तारण यथा गैर जमानतीय वारण्ट, धारा 82/83 Cr.P.C. से सम्बन्धित आदेशिका व धारा 164 Cr.P.C. का बयान।

h) विचाराधीन बन्दियों के संदर्भ में रिमाण्ड एवं अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये जायेंगे। तकनीकी समस्या होने पर ही अन्य माध्यम से किये जा सकेंगे।

i) जिन मामलों में साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उनमें वर्चुअल रूप से बहस सुनी जा सकती है या लिखित बहस ली जा सकती है।

j) जिन मामलों में बहस पूर्ण हो चुकी है, उन मामलों के आदेश/निर्णय सुनाये जा सकते हैं।

k) कार्यालय से संबंधित लम्बित कार्य किये जायेंगे।

l) कोई अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य (अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से) किये जा सकेंगे।

m) कोई अन्य प्रशासनिक कार्य।

3- फौजदारी मामलों में कोई विपरीत/प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किये जायेंगे, और ना ही पक्षकारों की अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़ात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4- यदि जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर की यह राय होगी कि मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर/बाह्य न्यायालय परिसर को कोविड–19 महामारी परिस्थिति के कारण एक विशिष्ट अवधि के लिये बंद किया जाना चाहिए तो उस स्थिति में मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर/बाह्य न्यायालय परिसर को उक्त अवधि के लिये बंद किया जा सकता है।

5– उक्त बन्द होने की सूचना विशिष्ट कारणों को उल्लिखित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।

6– कार्य पूर्ण होते ही न्यायिक अधिकारीगण एवं न्यायालय के कर्मचारीगण न्यायालय परिसर छोड़ दें।

7– न्यायालय परिसर में कर्मचारीगण की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु जजशिप कुशीनगर में कार्यरत समस्त पीठासीन अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में कर्मचारीगण का न्यूनतम प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु अपने–अपने न्यायालय/कार्यालय/अनुभाग में कार्यरत कर्मचारीगण की संख्या निश्चित कर उनकी ड्यूटी रोटेशन द्वारा साप्ताहिक दिन नियत कर टाईम स्लाट्स में लगाना सुनिश्चित करें।

8– अग्रिम आदेश तक गाउन पहनने में छूट रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश संख्या–02/2022 दिनांकित 03.01.2022 द्वारा जजशिप कुशीनगर में गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोविड–19 से संबंधित माननीय न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी एवं उसकी आख्या प्रतिदिन के आधार पर प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित करेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 10.01.2022 से प्रभावी होगा।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी कुशीनगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक कुशीनगर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर/कसया–कुशीनगर, अध्यक्ष/मंत्री, जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पडरौना एवं कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसया–कुशीनगर को सूचनार्थ, सहयोगार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय।

माननीय न्यायालय के उक्त दिशा–निर्देशों की प्रति पीठासीन अधिकारी MACT/परिवार न्यायालय, को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाय।

सभी संबंधित तद्नुसार सूचित हों।

(अशोक कुमार सिंह, एच.जे.एस.)
जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

दिनांक/कुशीनगर
जनवरी 10, 2022

Copy forwarded to.......
For Information / necessary action
By order of Court

Sr. Admin. Officer
Judgeship Kushinagar

Annex-2

कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रशासनिक आदेश संख्या 23 /2022
दिनांक : फरवरी 14, 2022

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या –2435/LXXXVII–CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 13 फरवरी, 2022 द्वारा जनपदों में कोविड–19 के बढ़ते मामलों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा –निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न दिशा–निर्देश (Guidlines) जारी किये गये हैं, जिनके अनुपालन में जनपद न्यायालय मुख्यालय कुशीनगर स्थान पडरौना एवं बाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर के संचालन के संबंध में निम्न व्यवस्था की जाती है, जो दिनांक 14.02.2022 से माननीय उच्च न्यायालय से तत्संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक प्रभावी होगी :–

1– जनपद न्यायालय कुशीनगर तथा वाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर में कार्यरत समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय समय पर जारी प्राविधानों, नियमों, दिशा निर्देशों व परिपत्रों के अनुसार न्यायिक व प्रशासनिक कार्य सम्पादित करेंगें।

2– जनपद न्यायालय कुशीनगर तथा वाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर कोविड–19 पाजिटिव केस पाये जाने की स्थिति में बन्द नहीं होगा तथा पूर्ण रूप से जिलाधिकारी कुशीनगर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा सी.एम.ओ./सी.एम.एस. कुशीनगर के सहयोग से पूर्ण सेनेटाइजेशन होने के पश्चात कार्य सम्पादित किया जायेगा। जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारी कुशीनगर से यदि इस आशय की आख्या प्राप्त होती है कि जनपद न्यायालय कुशीनगर तथा वाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर को कोविड–19 के कारण यदि एक निश्चित अवधि के लिये बन्द किया जाना आवश्यक है तो माननीय उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित करते हुए उतनी अवधि के लिये जनपद न्यायालय कुशीनगर तथा वाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर बन्द किया जायेगा।

3– जनपद न्यायालय कुशीनगर तथा वाह्य न्यायालय कसया, कुशीनगर में कार्यरत समस्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगें कि कम से कम संख्या में वादकारी/अधियक्तागण न्यायालय कक्ष में एक समय में न्यायालय कार्यवाही हेतु उपस्थित हों परन्तु किसी पक्षकार को बिना किसी बीमारी के अथवा आवश्यक शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित होने से मना नहीं किया जायेगा।

4– न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप् से मास्क का प्रयोग करेगा। प्रत्येक न्यायायल कक्ष के बाहर दरवाजे पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जायेगी तथा न्यायालय कक्ष में शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत कुशीनगर व प्रभारी अधिकारी, उपनजारत कसया को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक न्यायालय कक्ष के बाहर दरवाजे पर सेनेटाइजर रखने की व्ययवस्था सुनिश्चित करें।

5–जनपद सिविल कोर्ट बार ऐसोसिएशन कुशीनगर तथा कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कसया कुशीनगर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करके अधिवक्ताओं व वादकारियों के न्यायालय परिसर में प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जैसे ही विद्वान अधिवक्तागण की बहस पूर्ण हो जायेगी, वे अपने साथ आये वादकारियों के साथ न्यायालय कक्ष/परिसर को छोड़ देंगें। केवल उन्ही अधिवक्ताओं/वाद कारियों के न्यायालय परिसर/कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके केस काज लिस्ट में अंकित होंगें।

6– माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक क्षेत्र में दिये गये दिशा निर्देशों तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोविड –19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन जजशिप कुशीनगर में कार्यरत समस्त पीठासीन अधिकारीगण द्वारा किया जायेगा।

7–उपरोक्त आदेश दिनांक 14–02–2022 से प्रभावी होगा।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी कुशीनगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक कुशीनगर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर/कसया–कुशीनगर, अध्यक्ष/मंत्री, जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, कुशीनगर स्थान पडरौना एवं कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसया–कुशीनगर को सूचनार्थ, सहयोगार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय।

माननीय न्यायालय के उक्त दिशा–निर्देशों की प्रति पीठासीन अधिकारी MACT/परिवार न्यायालय, को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाय।

सभी संबंधित तद्नुसार सूचित हों।

दिनांक/कुशीनगर
फरवरी 14, 2022

14.02.2020

(वी०के० जायसवाल)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

District Judge
Kushinagar at Padrauna (U.P.)